निर्णय बइजलास लोक अदालत/कोर्ट कैम्प द्वारा श्री गोविन्दसिंह (**R.A.S.**) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी केम्प–ईशरमण्ड

प्र0सं0 /21/2011/रेवाद/

निर्णय दिनांक :–24.06.2016

**अनवान**

1. श्रीमती कंकु देवी पत्नी बगतावर जी गुर्जर निवासी वाणियाहाटडी तहसील देवगढ
2. श्रीमती लाडू देवी पत्नी खेमा जी गुर्जर निवासी वाणियाहाटडी तहसील देवगढ

——वादीगण

**बनाम**

1. श्री दयाराम पिता हीराजी गुर्जर निवासी वाणियाहाटडी तहसील देवगढ
2. श्रीमती कवरी बेवा हीराजी गुर्जर निवासी वाणियाहाटडी तहसील देवगढ
3. श्रीमती कंकु पुत्री हीराजी गुर्जर निवासी वाणियाहाटडी तहसील देवगढ
4. श्री प्रभु लाल पिता संवाईराम गुर्जर निवासी वाणियाहाटडी तहसील देवगढ
5. श्री भोमा पिता संवाईराम गुर्जर निवासी वाणियाहाटडी तहसील देवगढ
6. श्री बगतावर पिता रेवता गुर्जर निवासी वाणियाहाटडी तहसील देवगढ
7. श्री खेमा पिता रेवता गुर्जर निवासी वाणियाहाटडी तहसील देवगढ
8. श्री संवाईराम पिता रेवता गुर्जर निवासी वाणियाहाटडी तहसील देवगढ
9. श्री जेठू पिता निंबा गुर्जर निवासी वाणियाहाटडी तहसील देवगढ
10. राज्य सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार देवगढ

——प्रतिवादीगण

## वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188 राज. टि. एक्ट

पत्रावली आज दिनांक 24.06.2016 को लोक अदालत कोर्ट केम्प ईशरमण्ड मे पेश हुई। पक्षकारान को जारी सूचना पत्र तामिल हो शामिल पत्रावली है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 04, 05, 06, 07, 08 व 10 उपस्थित प्रतिवादी संख्या 01, 02, 03 एवं 09 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे अतः प्रतिवादी संख्या 01, 02,, 03 एवं 09 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है पत्रावली का अवलोकन क्रिया विवरण संक्षेप में इस प्रकार है।

सहायक कलेक्टर
...गढ़, जिला-राजसमन्द

ग्राम वाणियाहाटडी तहसील देवगढ़ की खाता संख्या 61 खसरा न. 211 रकबा 5 बीस्वा खाता संख्या 63 खसरा न. 48 रकबा 1.13 बीघा खसरा नं. 49 रकबा 0.10 बीस्वा खाता संख्या 64 खसरा न. 209 रकबा 1.00 बीघा एवं आराजी वाह खसरा न. 54 रकबा 0.05 बीस्वा में 1/48 ओसरा खसरा नं. आराजी वाह में 2/24 ओसरा अर्थात 1/12 को वादीयागण कंकु व लाडू तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की माता नेनू पत्नी सवाईराम ने दिनांक 20.04.2004 को खातेदार टेनेन्ट दयाराम पिता हीरा व मु. कंवरी बेवा हीरा से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के उनके हिस्से की भूमि खरीद कर कब्जा प्राप्त किया तब से उक्त आराजी का हिस्सा जो खरीद शुदा है वादीयागण व मृतका नेनूदेवी के वारिसान के कब्जेकाश्त चला आ रहा है। उक्त वर्णित आराजी पूर्व खातेदार गोरधन पिता भैरा उर्फ गोरधन पिता दोला रहा है आराजी में गोरधन पिता भैरा व गोरधन पिता दोला का हिस्सा अलग अलग होने एवं उक्त दोनो नाम का व्यक्ति एक ही होने से उसकी मृत्यु पश्चात् विरासत से नामान्तकरण संख्या 423 दिनांक 27.072003 को दयाराम पिता हीरा व मु. कंवरी बेवा हीरा के नाम पारित किया गया तत्पश्चात् उक्त खातेदार दयाराम व कंवरी ने अपने हिस्से की भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के दिनांक 20.04.2004 को वादियागण व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की माता नेनूदेवी को विक्रय कर दी जिससे उक्त भूमि विक्रय पत्र के आधार पर जरिये नामान्तकरण संख्या 426 दिनांक 05.06.2004 को उनके खाते दर्ज हो गयी। उक्त आराजी के नामान्तकरण से भूमि वादियागण के दर्ज होने के बाद राजस्व रेकार्ड मे कम्प्युटर सिस्टम की गलती अथवा लापरवाही से पुन: रेकार्ड में मृतक जिसक पूर्व में ही विरासत से नामान्तकरण हो चुका था के नाम दर्ज कर दी मृतक का पुन: विरासत से नामान्तकरण संख्या 451 से उसके वारिसान दयाराम पिता हीरा व कंकू पिता हीरा एवं कंवरी बेवा हीरा के नाम पारित किया गया पूर्व नामान्तकरण संख्या 426 से खातेदारी में वादीयागण ने नैनूदेवी का नाम दर्ज कर दिया लेकिन गलतीवश उक्त मृतक का नाम पुन: दूसरा नामान्तकरण किया जाकर मृतक के वारिसान को पुन: रेकार्ड पर दर्ज कर दिया जिससे उक्त राजस्व रेकार्ड में वादियागण व मृतका नैनूदेवी की खरीदशुदा भूमि के रेकार्ड में उक्त भूमि रेकार्ड की गलती एवं त्रुटी से उनके हक हिस्से पर विपरीत असर पड़ा उक्त नामान्तकरण संख्या 451 जो गलत रूप से पारित किया गया है उसे प्रभावहीन घोषित करते हुए पूर्व का नामान्तकरण संख्या 423 दिनांक 27.07.2003 को वैध ठहराते हुए उक्त समस्त वादग्रस्त आराजी में वादियागण का खरीदशुदा हिस्से के रेकार्ड में सही अंकन करने की आवश्यकता है। तथा गलती से दुबारा नामान्तकरण में नाम अंकित कर दिये है उन्हे हटाया जाकर रेकार्ड की स्थिति को सही अंकित करने की घोषणा करायी जाने की आवश्यकता है।

खाता संख्या 63 व खसरा संख्या 48 व 49 में मृतक गोरधन पिता भेरा का विरासत से दो बार नामान्तकरण खोला गया है तथा वादियागण का नाम विक्रय से रेकार्ड में दर्ज होने के बाद दुबारा नामान्तकरण से विक्रेतागण का नाम वादियागण के साथ रेकार्ड में दर्ज कर दिया गया तथा उसमे कंकु पिता हीरा के नाम पूर्व मे जो वेध नामान्तकरण हुआ उससे उसके नाम नामान्तकरण नही खोला गया जिससे पुनः जो अवैध नामान्तकरण खोला गया उसमें रेकार्ड में कंकू पिता हीरा का नाम दर्ज किया गया है जो अवैध एवं गलत है जिससे कंकू के साथ दयाराम व कंवरी का नाम पुनः विरासत से रेकार्ड पर दर्ज किया गया है। पूर्ण रूप से अवैध है तथा रेकार्ड की मिस्टेक है वर्तमान रेकार्ड में खाता संख्या 64 में खसरा संख्या 209 में जरिये अवैध नामान्तकरण संख्या 451 दिनांक 15.01.2008 से गोरधन पिता भैरा की वसीयत से पुनः दयाराम पिता हीरा कंकू पिता हीरा एवं कंवरी बेवा हीरा का गलती से नाम दर्ज कर दिया गया तथा खाता संख्या 63 खसरा संख्या 48 व 49 में जरिये नामान्तकरण संख्या 451 में दयाराम कंकु पिता हीरा व कंवरी बेवा हीरा के नाम गलती से दर्ज कर दिये है खाता संख्या 59 में वादियागण का 1/16 हिस्सा

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्द

दर्ज कर दिया जो गलत है जबकि सही हिस्सा 1/12 होता है जिसे राजस्व रेकार्ड में सुधार कर विधिवत रूप से वदियागण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का खरीद शुदा भूमि के आधार पर सही हिस्सा दर्ज कराया जाना आवश्यक है। वादीगण को दिनाक 22.04.2009 को राजस्व रेकार्ड की नकले लेने पर इसकी जानकारी हुई अतः वादियागण का स्वीकार किया जाकर ग्राम वाणियाहाटड़ी पटवार हल्का ईशरमण्ड तहसील देवगढ़ के खाता संख्या 64 खसरा न. 209 खाता सख्या 63 खसरा संख्या 48 व 49 तथा खाता संख्या 59 खसरा संख्या 210 में प्रतिवादीगण दयाराम व ककू पिता हीरा एवं मु. कंवरी बेवा हीरा का नाम हटाया जाकर उनके स्थान पर वादिया गण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का हिस्सा दर्ज करने की घोषणात्मक डिक्री फरमाई जावें। प्रतिवादी गण वादग्रस्त आराजी में अतिक्रमण नही करें वादग्रस्त भूमि अन्यत्र ट्रान्सफर नही करें इस हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जावें।

वादी गण का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी गण को मय नकल वाद पत्र के सम्मन जारी किये गये। प्रतिउत्तर में प्रतिवादी संख्या 1,2,3 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश समदानी ने वकालत नामा पेश किया प्रतिवादी संख्या 4,5,6,7,8,9 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे जिस पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी वकील वादी ने शहादत में वादीया श्रीमती लाडू एवं गवाह खेमा पिता रेमता के शपथ पत्र पेश किये शपथ पत्र शामिल पत्रावली है। प्रविवादी संख्या 10 ने प्रकरण में कोई जवाब पेश नही किया प्रतिवादी 10 का जवाब बन्द किया जाता है। प्रकरण लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प ईशरमण्ड में निमत किया जाकर पक्षकारान को पुनः सूचना पत्र जारी किये गये। नियत दिनाक को वादी गण एवं प्रतिवादी संख्या 4,5,6,7,8 एवं 10 उपस्थित हुए। जिन्होने लिखित में कोई जवाब पेश नही किया एवं वाद अनुसार प्रकरण का निरतारण किये जाने में मौखिक रूप से सहमति व्यक्त की।

हमने वादीगण के वाद पत्र शपथ पत्र बादी एवं गवाह नकल जमाबन्दी एवं पत्रावली में संलग्न अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा उन पर मनन किया पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजीयात में विरासत से नामान्तकरण खालेते समय गलती से प्रतिवादी दयाराम ककू पिता हीरा व मु. कंवरी बेवा का नाम दर्ज हो गया।

अतः ग्राम वाणियाहाटडी पटवार हल्का ईशरमण्ड के खाता संख्या 64 खसरा न. 209 खाता संख्या 63 खसरा नं. 48 व 49 खाता सख्या 59 खसरा संख्या 210 में प्रतिवादी श्री दयाराम व ककू पिता हीरा एवं मु. हीरा बेवा का नाम हटाने तथा उनकी बजाय वादी श्रीमती ककू देवी पत्नी श्री बगतावर जी एव लाडूदेवी पत्नी खेमा जी गुर्जर निवासी वाणियाहाटडी तहसील देवगढ के हिस्से दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री जारी की जावे। पालना हेतु निर्णय एवं डिक्री की प्रति तहसीलदार देवगढ को भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 24.06.2016 को न्याय आपके द्वारा लोक अदालत केम्प ईशरमण्ड में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

सहायक कलक्टर
देवगढ

राजस्थान–सरकार

# डिग्री व मुकद्दमे इब्तदाई

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ जिला–राजसमन्द

निर्णय बइजलास लोक अदालत/कोर्ट कैम्प द्वारा श्री गोविन्दसिंह (**R.A.S.**) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ कैम्प–ईशरमण्ड

केस0 21/2011 रे.वाद

निर्णय दिनांक :–24.06.2016

अनवान

1. श्रीमती कंकु देवी पत्नी बगतावर जी गुर्जर निवासी वाणियाहाटड़ी तहसील देवगढ़
2. श्रीमती लाडू देवी पत्नी खेमा जी गुर्जर निवासी वाणियाहाटडी तहसील देवगढ़

———वादीगण

बनाम

1. श्री दयाराम पिता हीराजी गुर्जर निवासी वाणियाहाटडी तहसील देवगढ़
2. श्रीमती कंवरी बेवा हीराजी गुर्जर निवासी वाणियाहाटडी तहसील देवगढ़
3. श्रीमती कंकु पुत्री हीराजी गुर्जर निवासी वाणियाहाटडी तहसील देवगढ़
4. श्री प्रभु लाल पिता संवाईराम गुर्जर निवासी वाणियाहाटडी तहसील देवगढ़
5. श्री भोमा पिता संवाईराम गुर्जर निवासी वाणियाहाटडी तहसील देवगढ़
6. श्री बगतावर पिता रेवता गुर्जर निवासी वाणियाहाटडी तहसील देवगढ़
7. श्री खेमा पिता रेवता गुर्जर निवासी वाणियाहाटडी तहसील देवगढ़
8. श्री संवाईराम पिता रेवता गुर्जर निवासी वाणियाहाटडी तहसील देवगढ़
9. श्री जेठू पिता निंबा गुर्जर निवासी वाणियाहाटड़ी तहसील देवगढ़
10. राज्य सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार देवगढ़

———प्रतिवादीगण

## वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188 राज. टि. एक्ट

वादीगण का वाद इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि ग्राम वाणियाहाटडी पटवार हल्का ईशरमण्ड के खाता संख्या 64 खसरा नं. 209 खाता संख्या 63 खसरा नं. 48 व 49 खाता संख्या 59 खसरा संख्या 210 में प्रतिवादी श्री दयाराम व कंकू पिता हीरा एवं मु. हीरा बेवा का नाम हटाने तथा उनकी बजाय वादी श्रीमती कंकू देवी पत्नी श्री बगतावर जी एवं लाडूदेवी पत्नी खेमा जी गुर्जर निवासी वाणियाहाटडी तहसील देवगढ़ के हिस्से दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
देवगढ़ जिला–राजसमन्द

| मुद्दई | रूपया | .पै0 | मुद्दायला | रूपया | पै0 |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अरजी दावा | 2 | 00 | स्टाम्प वकालातनामा | 0 | 00 |
| स्टाम्प वकालातनामा | 2 | 00 | स्टाम्प अरजी | 0 | 00 |
| स्टाम्प वजह सबूत | 0 | 00 | महनताना वकील )पर | 0 | 00 |
| महनताना वकील )पर | 0 | 00 | खर्चा गवाहान | 0 | 00 |
| खर्चा गवाहान | 0 | 00 | फीस कमीश्नर | 0 | 00 |
| फीस कमीश्नर | 0 | 00 | बाबत ईजराय हुक्मनामा | 0 | 00 |
| बाबत ईजराय हुक्मनामा | 0 | 00 | मुतफर्रिक | 00 | |
| मुतफर्रिक | 86 | 00 | | | |
| मिजान | | | मिजान | | |
| | 90 | 00 | | 00 | |

बसरख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारिख 30 मास 06 सन् 2016 की जारी की गई।

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
देवगढ/जिला–राजसमन्द